राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजीव गांधी विधा भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन न. 0141–2715518, Email :- rajssa_gender@yahoo.co.in, girlseducationsmsa@gmail.com

क्रमांक : प.6 / रास्कूशिप / जय / जैण्डर / केजीबीवी / 2019–20 / 11721 दिनांक : 27.5.2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा समस्त जिले।

विषय : केजीबीवी में नवीन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड–19 के कारण निदेशालय बीकानेर के निर्देशानुसार समस्त छात्रों को (बोर्ड परीक्षा के अलावा) आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया गया है अतः केजीबीवी में कक्षा 6 से 12 में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन किये जाने है। चूंकि लॉकडाउन अवधि के दौरान ही ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ हो चुके है परिषद द्वारा जारी केजीबीवी मार्गदर्शिका 2019–20 के दिशा–निर्देशो के अनुसार ग्रीष्मावकाश के दौरान मोटिवेशनल कैम्प आयोजित करके नवीन प्रवेश हेतु प्रचार–प्रसार किया जाता था परन्तु कोविड–19 के कारण लॉकडाउन की परिस्थितियों में यह सम्भव नहीं है।

अतः केजीबीवी में नवीन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पूर्व वर्षो की भांति मोटिवेशनल कैम्प के विकल्प के रूप में केजीबीवी की वार्डन एवं शिक्षिका द्वारा विभिन्न संचार माध्यमों से केजीबीवी की योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये तथा कक्षा 6 से 12 में केजीबीवी प्रवेश सम्बन्धित अहर्ताए रखने वाली नवीन छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में अभिभावको से दूरभाष पर सम्पर्क कर प्रवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाये। ग्रीष्मावकाश उपरान्त प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के आगामी दिशा–निर्देशों के अनुसार आवेदन सम्बन्धी प्रवेश प्रक्रिया की औपचारिकताएं पूर्ण करे।

www.rajteachers.com

(डॉ0 रश्मि शर्मा)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–2

प्रतिलिपि :आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा, परिषद, जयपुर।
2 निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3 निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक,द्वितीय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिलों को भेजकर लेख है कि उपरोक्तांनुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
5 रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (बालिका शिक्षा)